एस.ओ.जी. को भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक की आठ सौ से ज्यादा शिकायतें मिली

एस.ओ.जी. के अनुसार 21 फरवरी से अब तक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर यह शिकायतें प्राप्त हुई

- एसआई भर्ती की 225, अध्यापक-रीट भर्ती परीक्षा की 189 और जेईएन भर्ती परीक्षा की 56 शिकायतें मिली है।
- एसओजी ने शिक्षक भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपी भूपेन्द्र सहारण, अशोक नाथावत, शेरसिंह मीना और जगदीश विश्नोई को अलग-अलग जेल से पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है।
- सभी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिन के रिमांड पर लिया है।

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को पिछले पच्चीस दिनों में एसआई, रीट और जेईएन सहित विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, फर्जीवाड़े और पेपर लीक से संबंधित 826 शिकायतें मिली है। वहीं एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी भूपेन्द्र सहारण व अशोक नाथावत सहित अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए जेल प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है।

एसओजी के अनुसार 21 फरवरी से अब तक एसओजी को व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर 826 शिकायतें प्राप्त हुई है इनमें एसआई भर्ती से संबंधित 225, अध्यापक-रीट भर्ती परीक्षा की 189 और जेईएन भर्ती परीक्षा की 56 शिकायतें मिली है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की 36, पटवारी की 33, पीटीआई की 35, कांस्टेबल भर्ती की 36, एलडीसी की 26, क्लर्क की 6, वीडीओ की 11 और ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा की 11 शिकायतें मिली है। बाकी शिकायतें कई अन्य परीक्षाओं से संबंधित हैं।

उधर, एसओजी ने शिक्षक भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपी भूपेन्द्र सहारण और अशोक नाथावत उदयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछाताछ के लिए गिरफ्तार किया है। इसके अलावा शेरसिंह मीना को अजमेर जेल से और जगदीश विश्नोई को जयपुर जेल से शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। एसओजी ने सभी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 26 मार्च तक 10 दिन के रिमांड पर लिया है।

वहीं, दूसरी ओर एसओजी की टीम जेईएन भर्ती-2020 पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामलों को लेकर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को एसओजी की टीम ने दौसा जिला मुख्यालय और महुवा क्षेत्र के टिकरी जाफरान गांव में दबिश दी। इस दौरान एसओजी ने स्वरूप मीना की तलाश की। इसके अलावा एसओजी एएसपी नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने आरोपी रिंकू शर्मा के लवकुश नगर स्थित घर पर तलाशी ली और कई घंटे तक सर्च किया। पुलिस रिंकू की पत्नी की भूमिका की जांच कर रही है।

उधर, रिमांड पर चल रहे पेपर लीक के आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे है। पेपर लीक माफिया ने इंटरव्यू में भी पास होने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पेपर पास कराने के लिए 40 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से लिए गए। इसमें पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और इंटरव्यू पास कराने तक के रुपए लिए गए।

सूत्रों के अनुसार ये सभी जानकारी एडीजी एसओजी वीके सिंह ने सीएम भजनलाल से भी शेयर की थी। इसके बाद सीएम ने पूरी टीम से कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हर वह व्यक्ति अपराधी है, जो पेपर लीक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा मिला हुआ है। सूत्रों के अनुसार एसओजी पेपर लीक मामले में आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय से लेकर इंटरव्यू में बैठे बोर्ड से पूछताछ कर सकती है।

पेपर लीक में जयपुर से पकड़े गए मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई और पास होने वाले एसआई ने एसओजी की पूछताछ में बताया कि वह लोग कम नॉलेज और जीरो कॉन्फिडेंस होने के बाद भी इंटरव्यू को पास कर गए थे। एसओजी ने आरोपी एसआई के सभी बयानों की रिकॉर्डिंग की है। अब एसओजी अगले कुछ दिनों में आरपीएससी भी पहुंच सकती है।

एसआई भर्ती परीक्षा 2014 में नकल कर पास हुए जगदीश सिहाग ने एसओजी को बताया कि वह साल 2014 से अब तक कई भर्तियों में अभ्यर्थियों को पास करवा चुका है। अलग-अलग गैंग के साथ में काम कर रहा था। सिहाग से मिली जानकारी को एसओजी पुष्टि करने में लगी हुई हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सिहाग ने अपनी बहन समेत दो दर्जन से अधिक लोगों को डमी कैंडिडेट बनाकर बिठाया था। पेपर में बैठने के लिए जगदीश सिहाग की बहन लेक्चरर वर्षा 10 से 15 लाख रुपए लिया करती थी। जगदीश 10 से 15 लाख बहन वर्षा को देता था। खुद 5 से 10 लाख रुपए अपने पास रखता था। इसके बाद जगदीश परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों से इंटरव्यू में पास कराने के लिए भी पैसा लिया करता था।

सूत्रों के अनुसार एसआई भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई और एसआई भर्ती 2014 में पेपर लीक कर पास हुए जगदीश सिहाग ने पूछताछ में बताया कि पेपर में पास कराने के आगे 15 लाख दिया करते थे। इंटरव्यू में पास कराने के आगे 10 लाख दिया करते थे। 15 लाख रुपए खुद के लिए लेते थे। ऐसे में एक अभ्यर्थी से 35 से 40 लाख रुपए लिए जाते थे। इसमें पेपर लीक करने, डमी बैठाने से लेकर इंटरव्यू कराने तक की व्यवस्था किया करते थे। एसओजी आरपीए में प्रशिक्षण ले रहे अन्य प्रशिक्षु थानेदारों की तस्दीक की जा रही है। एसओजी से बचकर भागी वांटेड वर्षा बिश्नोई को पकडने के लिए शनिवार को पुलिस ने कई जगह दबिश दी।

जांगिड़ सुथार समाज के लोगों ने किया मुख्यमंत्री का अभिनंदन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को जांगिड़-सुथार समाज के लोगों ने सैंकड़ों की संख्या में ओटीएस स्थित निवास पर मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को जांगिड़ सुथार समाज के लोगों ने सैंकड़ों की संख्या में ओटीएस स्थित निवास पर मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड में राम गोपाल सुथार को अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उनका हस्तनिर्मित चित्र भी भेंट किया गया। इस दौरान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड पर मनोनयन पर हर्ष जता आभार व्यक्त किया। इस दौरान आभार कार्यक्रम में विश्वकर्मा बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, प्रदेश मंत्री अजीत माँडण, अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम पंवार, युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर शर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय हर्षवाल, कैलाश जांगिड सालीवाले, भंवर जांगिड व निमेष सुथार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

आयुषमल्ल नियुक्त

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। जारी सूची के अनुसार जयपुर में पैरवी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के पद पर एडवोकेट आयुष मल्ल को नियुक्त किया गया है। उन्होंने नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा का आभार व्यक्त किया है।

पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई का स्वागत

जयपुर। अभाविप राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं पर हो रही कमरतोड़ कार्यवाही का स्वागत करती है। सरकार ने दिसम्बर में ही पूर्ववर्ती सरकार में हुए पेपर लीक की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया था। उसके बाद से ही पेपर लीक से जुड़े कई नए खुलासे हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक एक आम समस्या थी जैसे रीट, जे-ईएन, सेकंड ग्रेड, पटवारी इत्यादि लगभग 19 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केवल मात्र कुछ ही भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना माना और कार्यवाही नहीं किया। हाल ही में एसआईटी ने सब-इंसपेक्टर भर्ती 2019 में पेपर लीक के आरोपी गिरोहों को पकड़ा है। इसी भर्ती में पेपर लीक करके पास हुए 15 ट्रेनी सब- इंसपेक्टर को गिरफ्तार भी किया है।

पेपर लीक और भ्रष्टाचार से आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थाओं की गोपनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। पेपर लीक करने वाले गिरोह में राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम के संस्थान के पदाधिकारी भी जुड़े हुए थे। आरपीएससी के कुछ सदस्यों का भी इन पेपर लीक की घटनाओं में नाम सामने आया है। पेपर लीक घटनाओं और पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता के विरोध में अभाविप ने "न्याय पद यात्रा" निकली थी, यह यात्रा करौली से शुरू होकर कुडगांव, गंगापुर, पिपलाई, लालसोट, तुंगा, बस्सी और घाट की घुनी से होते हुए जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी।

लोकसभा स्तर पर होगा "लाभार्थी किसान कार्यकर्ता सम्मेलन"

जयपुर। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा लोकसभा स्तर पर चलाये जा रहे कार्यक्रम "लाभार्थी किसान कार्यकर्ता सम्मेलन" को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में प्रेसवार्ता आयोजित हुई, जिसे किसान आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह राजपुरोहित व डॉ. बलराम दून, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने सम्बोधित किया।

नव-नियुक्त किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी ने कहा कि ईआरसीपी से 21 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु किसानों को पानी मिलेगा, जिससे 2.80 लाख हैक्टर सिंचाई लाभ हेतु 40 प्रतिशत आबादी को इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रूपये से बढ़ाकर 8 हजार रूपये किया गया, जिससे किसानों को आर्थिक सहयोग मिलेगा।

मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 को मध्यनजर रखते हुए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा 31 मार्च, तक लोकसभा स्तर पर "लाभार्थी किसान कार्यकर्ता सम्मेलन" का आयोजन किया जायेगा।

जन कल्याणकारी नीतियों को प्रचारित करने में मीडिया की भूमिका अहम : सी.पी.जोशी

- भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता, पैनेलिस्ट, कलस्टर मीडिया प्रभारी और संभाग मीडिया संयोजकों की बैठक आयोजित

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश प्रवक्ता, पैनेलिस्ट, कलस्टर प्रभारी, संभाग मीडिया संयोजक और प्रदेश मीडिया कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को अधिक से अधिक प्रचारित करने में मीडिया की अहम भूमिका है। ऐसे में मीडिया के सदस्यों के साथ भाजपा के प्रवक्ताओं और पैनेलिस्टों का बेहतर संवाद होना चाहिए। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने के साथ ही प्रदेश में अधिकांश सीटों पर लोकसभा कार्यालय एवं मीडिया सेंटर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अब मीडिया सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा, गरीब, किसान और महिला उत्थान के लिए किए गए कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना है। जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 25 की 25 सीटों पर कमल का फूल खिलाना है और फिर एक बार मोदी सरकार के ध्येय वाक्य के साथ हम सभी मीडिया सदस्यों को कार्य करना है। भाजपा मीडिया के कलस्टर और लोकसभावार सदस्यों को मोदी की योजनाओं को लेकर अधिक से अधिक संवाद करना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभांवित परिवारों से संवाद कर उनके अनुभवों को भी मीडिया में लाने की आवश्यकता है।

भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य मीडिया टीम का है। ऐसे में भाजपा के प्रत्येक प्रवक्ता के साथ पैनेलिस्ट को मैं से हम की भावना के साथ कार्य करना होगा। भाजपा के प्रवक्ताओं और पैनेलिस्टों को विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। इसके साथ ही कलस्टर मीडिया प्रभारी और लोकसभा मीडिया संयोजक लोकसभा क्षेत्र में लॉकल मीडिया, लॉकल न्यूज पोर्टल और यू-ट्यूबर से संवाद बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाओं का शुभारंभ किया है। ऐसे में भाजपा की मीडिया टीम को लाभार्थी संवाद और उनके अनुभवों को प्रिंट के साथ इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कवरेज करवाने का प्रयास करना चाहिए।

कांग्रेस के 15 उम्मीदवार 19 मार्च को तय होंगे

- 20 मार्च से शुरू होगा पहले दौर के नामांकन का काम

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में पहले दौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में 20 मार्च को राजस्थान में अधिसूचना जारी हो जाएगी। कांग्रेस के बचे हुए 15 उम्मीदवारों की सूची पर भी 19 मार्च को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला कर लिया जाएगा। पहले दौर के मतदान के लिए जारी होने वाली अधिसूचना के अनुसार 28 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।

राजस्थान में कांग्रेस ने अब तक 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बाकी बचे 15 उम्मीदवारों की घोषणा इसलिए रोक दी गई थी कि कुछ नेताओं को पार्टी ज्वाइन करनी थी। इनमें से प्रमुख नाम बाड़मेर के उम्मेदाराम बेनीवाल का था, जिन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की है। वह संभव है बाड़मेर से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। सीकर और अजमेर में कांग्रेस जहां नए चेहरों पर दाव खेलने वाली है, वहीं नागौर में भी आश्चर्यजनक रूप से हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं होने की स्थिति में किसी ऐसे चेहरे को पार्टी चुनाव लड़वा सकती है, जिसे लेकर लोगों में चर्चा नहीं हो रही हो। झालावाड़-बारां में लगभग तय है कि प्रमोद जैन भाया उम्मीदवार होंगे। दौसा में पार्टी मुरारी लाल मीणा को चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन मुरारी लाल मीणा तैयार नहीं हैं। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने विधायक अशोक चांदना को पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है। जहां तक जयपुर शहर की बात है तो यह तय है कि इस बार यहां नया उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और यह भी तय हैं कि किसी ब्राह्मण चेहरे पर ही कांग्रेस जयपुर शहर में दाव खेलने वाली है। जयपुर ग्रामीण में गोविंद सिंह डोटासरा किसी विधायक को चुनाव लड़वाने की इच्छा रखते हैं, वहीं पार्टी की ओर से नए चेहरों पर भी दाव खेलने पर विचार चल रहा है।

वैसे तो राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी में सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है और अंतिम रूप से उम्मीदवारों के नाम तय कर लिया गया है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में 19 मार्च को अंतिम फैसला होगा, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी।

राजनैतिक प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने रविवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में बैठक आयोजित कर उन्हें लोकसभा चुनाव-2024 के कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। बैठक में निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। प्रत्येक प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हेंडल, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना होगा। सभी पोलिंग बूथ पर बीएलए की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से करने का भी आग्रह किया।

गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों के अपडेशन, मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, चुनाव के लिए कार्मिकों की तैनाती तथा बूथ स्तर तक निर्वाचन प्रबंधन के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के स्टॉक की समीक्षा करने तथा इन मशीनों का समुचित रैंडमाइजेशन करने का सुझाव दिया। गुप्ता ने आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार मीडिया माध्यमों में सूचना प्रकाशन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न टीमों, उडनदस्तों आदि में नियोजित कर्मचारियों को मॉनिटरिंग प्रक्रिया की जानकारी, खर्च के लेखांकन तथा लेखा समाधान बैठकों के आयोजन के लिए भी निर्देशित किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अवदेश कुमार (AWADESH KUMAR) से बदल कर अवधेश कुमार शर्मा (AVDHESH KUMAR SHARMA) पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी- प्लॉट नं.3-, नाड़ी का फाटक, शांति नगर-1, मुरलीपुरा, जयपुर-302039

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या 77 ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का वास, 400फीट रोड सेज सम्पर्क रोड क्षेत्रफल 270 व.मी. का फ्री होल्ड पट्टा जो की छीतर एवं गोपाल पुत्रान रामकरण के नाम JDA से जारी किया गया था, कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। सपीना 9829097220

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ए.डी.जे. नं. 1 स्थान हिण्डौन सिटी
रेणु आदि विरूद्ध महेन्द्र आदि
वाद बाबत घोषित किये जाने दानपत्र नल एण्ड वोईड व शून्य प्रभावी एवं स्थायी निषेधज्ञा वाद सं. 11 सन् 16

बनाम मीना पुत्र भरतसिंह पत्नि राजेन्द्र जाति मीना नि. आतरहेडा तहसील महवा जिला दौसा वादीगण ने आपके विरूद्ध के लिये वाद पंजीयत किया वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18 माह 03 सन् 24 को दिन में 10 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज को आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं हो तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यह वाद ता. 08 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

आज्ञा से
सीनियर रीडर
अपर जिला एवं सैषन न्यायाधीश
सं.-1, हिण्डौन सिटी

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 96/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री ओम प्रकाश तेला पुत्र श्री मूल चन्द तेला निवासी 111/306 विजय पथ, अग्रवाल फार्म, तेजाजी किराना के पास मानसरोवर जयपुर 302020 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत वेद कनेक्ट हाऊस नं. 111/306 सेक्टर-11, जोन-111 अग्रवाल फार्म मानसरोवर योजना जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 13.05.2024

मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय M.M.18, Jaipur Metro-I, Sanganer स्थान Jaipur
Kalpana Jain विरुद्ध State of Rajasthan
वाद बाबत Suit for declaration
वाद संख्या 456 सन् 2023

बनाम हर खास ओ आम पुत्र...जाति... स्थान हर खास के आम वादी ने आपके विरूद्ध नकल संलग्न है Suit for declaration के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 26 माह 03 सन् 24 को दिन में.... बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता.15 माह 03 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1
सांगानेर जयपुर प्रथम